

Ph.D. IN LAW (PHDLE)

Term-End Examination

December, 2017

00291

**RLE-006 : CONSTITUTIONAL LAW (PART A) AND
JURISPRUDENCE (PART B)**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

*Note : The paper is divided into two parts, Part A and
Part B. Both the parts are compulsory.*

PART A

(Constitutional Law)

*Attempt any two of the following questions from this
part. Each question carries 25 marks. 2×25=50*

1. With the help of decided cases, analyse the 'Right to Life'.
2. Critically analyse the provisions of the Constitution and debate relating to the appointment of judges in the Supreme Court and High Courts in India.
3. Discuss the powers of the President under Article 356 of the Constitution in case of the breakdown of the constitutional machinery. Also examine the justiciability of the advice given by the Council of Ministers on this matter.

PART B
(Jurisprudence)

Attempt any two of the following questions from this part. Each question carries 25 marks. 2×25=50

4. Discuss Legislation as a source of law.
 5. Define Possession. Distinguish it from Ownership.
 6. Analyse the concept of Social Justice. How has it been incorporated in the Indian Constitution ?
-

विधि में पीएच.डी. (पीएच.डी.एल.ई.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2017

आर.एल.ई.-006 : संवैधानिक विधि (भाग क) और
विधिशास्त्र (भाग ख)

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : यह प्रश्न-पत्र दो भागों में विभक्त है, भाग क और भाग ख ।
दोनों भाग अनिवार्य हैं ।

भाग क

(संवैधानिक विधि)

इस भाग के निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न कीजिए ।
प्रत्येक प्रश्न के 25 अंक हैं ।

2×25=50

1. विनिश्चित निर्णयों की मदद से 'जीवन के अधिकार' का विश्लेषण कीजिए ।
2. संविधान के उपबंधों और भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति संबंधी विचार-विमर्श का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ।
3. सांविधानिक तंत्र के ठप्प हो जाने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा कीजिए । इस संबंध में मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह की न्यायालय की विचार योग्यता की भी जाँच कीजिए ।

भाग ख
(विधिशास्त्र)

इस भाग के निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न कीजिए ।
प्रत्येक प्रश्न के 25 अंक हैं । 2×25=50

4. विधि के स्रोत के रूप में विधान की चर्चा कीजिए ।
 5. कब्ज़ा (स्वाधीनम) को परिभाषित कीजिए । यह स्वामित्व से किस तरह भिन्न है, बताइए ।
 6. सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए । भारतीय संविधान में इसे कैसे सम्मिलित किया गया है ?
-